न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 207/2023 | दायर दिनांक 05.06.2023 | निर्णय दिनांक 27.07.2023

अनवान

1. कल्याण नाई पुत्र बालू नाई,
2. देवी लाल नाई पुत्र बालू नाई,
3. बदाम नाई पुत्री बालू नाई,
4. मोहन नाई पुत्र बालू नाई,
5. राम लाल नाई पुत्र बालू नाई,

निवासीगण सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. तुलछा गाडरी पुत्र नाराण गाडरी,
2. दोला गाडरी पुत्र नाराण गाडरी,
3. गीता देवी पत्नी लक्ष्मी नारायण बैरागी,
4. खेलण रेबारी पत्नी स्व0 श्री भागीरथ रेबारी,
5. शंकर रेबारी पुत्र श्री भागीरथ रेबारी,
6. सोजी राम पुत्र भागीरथ रेबारी,
7. मदन रेबारी पुत्र भागीरथ रेबारी,

निवासीगण सिदड़ियास, तहसील व जिला भीलवाड़ा

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील व जिला भीलवाड़ा

अप्रार्थीगण

उपस्थिति : अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल तेली – प्रार्थीगण
एक तरफा– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 एवं 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम सिदड़ियास, पटवार हल्का सिदड़ियास, भू.अ.नि. क्षेत्र महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069–2073 के नये खाता संख्या 572 की अभिलिखित आराजी संख्या 2322/1957 रकबा 0.3794 है0, खाता संख्या 258 की अभिलिखित आराजी संख्या 1955 रकबा 0.4679 है0, खाता संख्या 571 की अभिलिखित आराजी संख्या 2219/1957 रकबा 1.0748 है0, खाता संख्या 579 की अभिलिखित आराजी संख्या 2179/1957 रकबा 0.8599 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण की खातेदारी अधिकारों की है। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के विपक्षीगण पड़ौसी होकर दोनों के मध्य स्थाई सीमा चिह्न नहीं होने से प्रार्थीगण व

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

विपक्षीगण के मध्य आराजी के संबंध में विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की आराजियात की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.07.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की इस्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढ़ी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने की अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार, भीलवाड़ा को सीमांकन (पत्थरगढ़ी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार, भीलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि मौजा ग्राम सिदड़ियास, पटवार हल्का सिदड़ियास, भू.अ.नि. क्षेत्र महुआकलां, तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2069-2073 के नये खाता संख्या 572 की अभिलिखित आराजी संख्या 2322/1957 रकबा 0.3794 है0, खाता संख्या 258 की अभिलिखित आराजी संख्या 1955 रकबा 0.4679 है0, खाता संख्या 571 की अभिलिखित आराजी संख्या 2219/1957 रकबा 1.0748 है0, खाता संख्या 579 की अभिलिखित आराजी संख्या 2179/1957 रकबा 0.8599 है0 कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खड़ी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिह्न स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार भीलवाड़ा को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करें तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाड़ा को तहरीर जारी करें।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा